राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक प.8(1)(2)निर्वा/2024/ 1004 जयपुर, दिनांक :– 06-2-24

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर।

आयुक्त
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
सचिवालय, जयपुर।

विषय : लोकसभा आम चुनाव, 2024 – आदर्श आचार सहिता – सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर निषेध बाबत्।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक No. 3/7/2023/SDR दिनांक 12.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव, 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जायेगी, जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभाव में रहेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी आपको विभिन्न संचार के माध्यमों से प्राप्त हो जायेगी एवं इस विभाग द्वारा भी यथा–समय सूचित कर दिया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र के द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आते ही निम्नांकित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं:–

1. सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते और यदि लगाये हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

2. समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावें।

3. राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ/फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिये जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

4. सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि आयोग के निर्देशों की पालना आप अपने अधीनस्थ सभी विभागों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों से सुनिश्चित करावें, साथ ही आयोग को प्रेषित करने हेतु पालना रिपोर्ट इस विभाग को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद अविलम्ब भिजवायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(1)(2)निर्वा/2024/ 1604 जयपुर, दिनांक :– 06-2-24

प्रतिलिपि मय आयोग के प्रासंगिक पत्र की प्रति निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आते ही आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:–

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, (IEC) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स) राजस्थान।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।